Dainik Bhaskar Dated 6/7/17

assified

बीआईएस ने की सेक्टर-35 के हॉलमार्क सेंटर पर रेड, मार्किंग मशीन जब्त

सिटी रिपोर्टर | चंडीगढ़

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) की ओर से सेक्टर-35 हॉलमार्क सेंटर पर बुधवार को छापा मारा गया। वहां बीआईएस मान्यता के गोल्ड आभूषण की स्टैंपिंग कर ज्वेलर्स को हॉलमार्का की मान्यता दे रहे थे। बीआईएस के उप महानिदेशक एके शर्मा के निर्देश पर बीआईएस की टीम ने छापा मारा है। शर्मा के मुताबिक केवल बीआईएस मान्यता प्राप्त हॉलमार्क सेंटर को बीआईएस स्टैंडर्ड हॉलमार्क का उपयोग करने की अनुमति है और किसी बीआईएस मान्यता के बिना किसी भी व्यक्ति को हॉलमार्क करने के लिए जुर्माना और जेल भी हो सकती है। डिपार्टमेंट के मुताबिक जांच जारी है।

सख्त एक्शन लिया जाएगाः ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अवैध फर्म के खिलाफ अदालत में मामला दर्ज करेगा और छापे के दौरान जब्त किए गए सबूत को प्रस्तुत किया जाएगा। एके शर्मा ने कहा कि बीआईएस गैर-कानूनी हॉल मार्किंग सेंटर पर नियमित रूप से इस तरह के छापे डालती है। उन ज्वेलर्स पर छापे मारे जा रहे हैं जो उनके गहने गैर-कानूनी हॉल मार्किंग सेंटर से हॉलमार्क करा रहे हैं और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये सामान गया किया सेंटर से जब्त

अवैध हॉल मार्किंग के बारे में पता लगाने के लिए एके शर्मा बीआईएस चंडीगढ़ ने 4 बीआईएस अधिकारियों की टीम खोज, जब्ती और छापा मारने के लिए बनाई। चंडीगढ़ पुलिस की मदद से टीम ने चंडीगढ़ के एससीओ 90, सेक्टर-35 पर स्थित ट्राईसिटी डायमंड एंड हॉल मार्किंग सेंटर पर छापा मारा। छापे में पाया गया कि फर्म अवैध रूप से हॉलमार्क कर रही थी। टीम ने लेजर हॉल मार्किंग मशीन और कंप्यूटर को जब्त किया।

पहली बारः एनसीआरबी में ट्रेनिंग लेंगे पीयू के चार स्टूडेंट

पिंकी बिष्ट, रोहण कपूर, खुशबू और जिगमीत गयास्टो।

सिटी रिपोर्टर | चंडीगढ़

पीयू के सेंटर फॉर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के चार स्टूडेंट्स नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) में ट्रेनिंग करेंगे। एमए सेकेंड ईयर के

अंतर्गत चल रहे इस पुलिस एजेंसी में जिगमीत गयास्टो, खुशबू, पिंकी बिष्ट और रोहण कपूर चार हफ्ते के लिए ट्रेनिंग करेंगे। उन्हें 7 ब्रांचेज स्टैटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल, ट्रेनिंग, क्राइम रिकॉर्ड, सीसीटीएनएस, सेंट्रल फिंगर